न्यायालय, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, लोहरदगा
विविध आपराधिक आवेदन संख्या–1144 / 2024
परिवाद संख्या–398 / 2023

Schedule XLII – High Court (J) 9a [Old (M) 164.]

Serial No.	Date of order of proceeding	Order with signature of the Court	Office notice taken with Date
1	2	3	4
	21.09.2024	अभियुक्त शुभम कुमार की ओर से एक आवेदन के साथ आदित्य बिड़ला लिमिटेड स्टोर की ओर से एक प्राधिकृत पत्र इस आशय का दाखिल किया गया कि प्रस्तुत वाद में अभियुक्त शुभम कुमार, स्टोर मैनेजर को आदित्य बिड़ला की ओर से वाद को कार्रवाई हेतु प्राधिकृत किया गया। वाद पुकारा गया। दाखिल आवेदन एवं विविध आपराधिक आवेदन संख्या–1144 / 2024 पर उभय पक्षों को सुना। मामला अंतर्गत धारा झारखण्ड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम की धारा 34 का है। आवेदक, अभियुक्त निशांत प्रभाकर की ओर से मामला दोष स्वीकार कर निष्पादित करना चाहते है। संबंधित कम्पनी की ओर से वाद की कार्रवाई हेतु आवेदक की ओर से प्राधिकृत पत्र दाखिल है। अतः न्यायहित में आवेदन स्वीकृत किया जाता है। अभियुक्त की ओर से दोष स्वीकार करना चाहते हैं। आवेदक को बताया गया कि दोष स्वीकार करने पर उन्हें सजा भी हो सकती है, जिसे वह सहज स्वीकार करता है। अतः झारखण्ड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम की धारा 34 के तहत आरोप व्याख्या किया गया, जिसे वह स्वीकार करता है। तत्पश्चात अभियुक्त का बयान धारा 313 द.प्र.सं. के तहत दर्ज किया गया। अभियुक्त को झारखण्ड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम की धारा	

न्यायालय, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, लोहरदगा
विविध आपराधिक आवेदन संख्या–1144 / 2024
परिवाद संख्या–398 / 2023

Schedule XLII – High Court (J) 9a [Old (M) 164.]

	लगातार..... **21.09.2024**	34 के तहत दोषी पाया गया। समस्त पहलुओं पर गम्भीरता से विचार करने के पश्चात अभियुक्त को झारखण्ड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम की धारा 34 के तहत 5000 / – (पांच हजार रूपये) का अर्थदण्ड की सजा सुनाई जाती है। लेखापित ह0 / – (कृष्ण कान्त मिश्र) मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, लोहरदगा जे0ओ0 कोड–JH00576	
	पश्चात **21.09.2024**	अभियुक्त की ओर से झारखण्ड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम की धारा 34 के तहत 5000 / – (पांच हजार रूपये) का नजारत रसीद संख्या–118, दिनांक 21.09.2024 के द्वारा जमा किया गया, जिसकी जमा पर्ची की छाया प्रति अभिलेख के साथ संलग्न है। मामला निष्पादित किया गया। कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें। लेखापित ह0 / – (कृष्ण कान्त मिश्र) मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, लोहरदगा जे0ओ0 कोड–JH00576	